

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

संकल्प

विषय:— “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-1000 वर्ष की अटूट आस्था” के उपलक्ष्य में दिनांक-20.07.2026 को लगभग 1100 श्रद्धालुओं का दो दिवसीय “सोमनाथ यात्रा” का आयोजन कराने एवं उससे संबंधित सभी व्यवस्थाओं (यात्रा, लॉजिस्टिक व्यवस्था एवं अन्य संबंधित गतिविधियाँ) हेतु ₹ 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-1000 वर्ष की अटूट आस्था” के उपलक्ष्य में दिनांक-11.01.2026 से 11.01.2027 तक की अवधि के लिए व्यापक पहुँच और जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक वर्षव्यापी राष्ट्रीय स्मरणोत्सव के रूप में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की समन्वित भागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-1000 वर्ष की अटूट आस्था” के उपलक्ष्य में दिनांक-20.07.2026 को लगभग 1100 श्रद्धालुओं का दो दिवसीय “सोमनाथ यात्रा” का आयोजन किया जाना है, जिसके अंतर्गत विशेष ट्रेन दिनांक-20.07.2026 को पटना रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी तथा दो दिवसीय सोमनाथ भ्रमण उपरांत दिनांक-26.07.2026 को वापसी करेगी।

2. वर्ष 2026, 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण के 1000 वर्ष तथा स्वतंत्र भारत में मई 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण एवं पुनः उद्घाटन के 75 वर्ष पूर्ण होने का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर शैव धर्म के सबसे पूजनीय केंद्रों में से एक है तथा भारत की पवित्र, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत में इसका एक अनूठा स्थान है। सदियों से, यह मंदिर सांस्कृतिक निरंतरता और अटूट आस्था का एक प्रतीक रहा है, जिसे ऐतिहासिक बाधाओं के बावजूद सामूहिक प्रयासों से बार-बार पुनर्निर्मित किया गया है।
3. बिहार सरकार द्वारा दिनांक-20.07.2026 को “सोमनाथ यात्रा” का आयोजन किये जाने हेतु संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति द्वारा प्राप्त निर्देशों के आलोक में उक्त यात्रा के आयोजन तथा उससे संबंधित सभी व्यवस्थाओं, जिसमें यात्रा, लॉजिस्टिक व्यवस्था एवं अन्य संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं, का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक विशेष स्मृति कार्यक्रम का हिस्सा है। अतएव इस पर होने वाला व्यय एकमुश्त की प्रकृति का होगा। यह व्यय राज्य सरकार पर किसी प्रकार का स्थायी अथवा आवर्ती वित्तीय दायित्व उत्पन्न नहीं करेगा।
4. इस आयोजन का उद्देश्य सोमनाथ मंदिर से संबंधित भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय विरासत के प्रति जन-जागरूकता एवं जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा, उसकी पुर्नस्थापना तथा भारत की सांस्कृतिक निरंतरता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस पहल से राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना, जनभागीदारी तथा बिहार की सक्रिय सहभागिता का संदेश प्रसारित होगा।

5. उपरोक्त के आलोक में "सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-1000 वर्ष की अटूट आस्था" के उपलक्ष्य में दिनांक-20.07.2026 को लगभग 1100 श्रद्धालुओं का दो दिवसीय "सोमनाथ यात्रा" का आयोजन हेतु यात्रा तथा उससे संबंधित सभी व्यवस्थाओं यथा-आने-जाने का रेल किराया (विशेष 16 कोच का 3AC ट्रेन), IRCTC द्वारा यात्रा अवधि में भोजन, नाश्ता, चाय, पानी, श्रद्धालुओं हेतु यात्रा किट (बैग, कैप, स्कार्फ, परिचय पत्र, पुस्तिका आदि), रेलवे स्टेशन पर शुभारंभ/स्वागत कार्यक्रम, मंच, ब्रांडिंग, LED, सजावट, पुष्प सज्जा, साउण्ड, लाईट, विद्युत व्यवस्था, विडियोग्राफी, फोटोग्राफी, लाईव प्रसारण, चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस, आपात व्यवस्था, सुरक्षा, स्वयंसेवक एवं समन्वय व्यवस्था, प्रचार-प्रसार, प्रिंटिंग, जन-संपर्क, प्रशासनिक एवं आकस्मिक व्यय इत्यादि किया जाना है। इसके निमित्त कुल अनुमानित राशि ₹ 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र व्यय की संभावना है।
6. व्यय का विकलन मांग संख्या-08, मुख्य शीर्ष-2205-कला एवं संस्कृति-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-उपशीर्ष- 0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन, विपत्र कोड-08-2205001020101, विषय शीर्ष-2002-कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार मद में उपबंधित राशि से होगा।
7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में "सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-1000 वर्ष की अटूट आस्था" के उपलक्ष्य में दिनांक-20.07.2026 को लगभग 1100 श्रद्धालुओं का दो दिवसीय "सोमनाथ यात्रा" का आयोजन कराने एवं उससे संबंधित सभी व्यवस्थाओं (यात्रा, लॉजिस्टिक व्यवस्था एवं अन्य संबंधित गतिविधियाँ) हेतु ₹ 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर दिनांक-01.07.2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-02 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(प्रणव कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-2सां०/स.1-07/2026-...../पटना, दिनांक/2026

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-2सां०/स.1-07/2026-...../पटना, दिनांक/2026

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-2सां०/स.1-07/2026-...../पटना, दिनांक/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-2सां०/स.1-07/2026-830/पटना, दिनांक 03/07/2026

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त बिहार/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/संयुक्त सचिव/सभी निदेशक/सभी पदाधिकारी, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि०, पटना/सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना/सचिव, बिहार ललित कला अकादमी, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना/निदेशक, मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी/सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बिहार/आई०टी० प्रबंधक, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।